प्रेषक,

एन0एच0 रिजवी,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
सेन्टर ऑफ बायोमेडिकल रिसर्च,
लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-2 लखनऊः दिनांक 18 जनवरी, 2018

विषयः- वित्तीय वर्ष 2017-18 में सी0बी0एम0आर0 के आवासीय परिसर में प्रस्तावित निर्माण कार्य हेतु वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-सी0बी0एम0आर0/2017/6705, दिनांक 28-12-2017 का कृपया संदर्भ लेने का कष्ट करें।

2- सी0बी0एम0आर0 के आवासीय परिसर में प्रस्तावित निर्माण कार्य हेतु शासनादेश संख्या-67/2016/1695/71-2-16-पी-52/2014, दिनांक 24 मई, 2016 द्वारा रू0 1172.30 लाख की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति के सापेक्ष निम्नलिखित शासनादेशों के माध्यम से अबतक रू0 865.88 लाख की धनराशि अवमुक्त की जा चुकी हैः-

क्र0	शासनादेश संख्या एवं दिनांक	अवमुक्त धनराशि (लाख में)
1	57/2015/1707/71-2-15-पी-52/2014, दिनांक 23 जून, 2016	234.75
2	07/2016/4824/71-2-15-पी-52/2014, दिनांक 19 जनवरी, 2016	102.00
3	67/2016/1695/71-2-16-पी-52/2014, दिनांक 24 मई, 2016	450.00
4	73/2016/2330/71-2-16-पी-52/2014, दिनांक 03 जून, 2016	50.00
5	41/2017/745/71-2-17-पी-52/2014, दिनांक 31 मार्च, 2017	29.13
	योग-	**865.88**

3- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2017-18 में सी0बी0एम0आर0 के आवासीय परिसर में प्रस्तावित निर्माण कार्य हेतु रू0 01,25,00,000/- (रूपया एक करोड पचीस लाख मात्र) की धनराशि अवमुक्त किये जाने की सहर्ष स्वीकृति श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैः-

1) स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार/नियमानुसार किया जायेगा तथा स्वीकृत धनराशि को बैक/डाकघर/पी0एल0ए0 में नहीं रखा जायेगा।
2) प्रायोजना का निर्माण कार्य निर्धारित समयावधि में अवश्य पूर्ण कर लिया जाय। प्रायोजना हेतु पूर्व निर्गत शासनादेशों में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
3) कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी निदेशक, सी0बी0एम0आर0 एवं कार्यदायी संस्था की होगी। वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 03-8-2017 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन किया जायेगा।
4) स्वीकृत धनराशि का उपयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा तथा व्यय स्वीकृत धनराशि तक सीमित रखा जायेगा।
5) निर्माण कार्यो की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति से शासन को प्रत्येक माह अवगत कराते हुए यथासमय कार्यदायी संस्था/संस्थान द्वारा सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त करते हुए उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन/महालेखाकार को उपलब्ध कराया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

4- धनराशि को कोषागार से वित्त अधिकारी, सी0बी0एम0आर0 लखनऊ द्वारा आहरित किया जायेगा एवं बिलों पर महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ के प्रतिहस्ताक्षर प्राप्त किये जायेंगे।

5- इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-31-चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण) के लेखाशीर्षक ''4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय-आयोजनागत-03-चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-105-एलोपैथी-07-सेन्टर ऑफ बायोमेडिकल रिसर्च, लखनऊ-24-वृहत् निर्माण कार्य''के नामे डाला जायेगा।

6- यह आदेश वित्त विभाग के आदेश संख्या-8/2017/बी-1-1190/दस-2017-231/2017, दिनांक 03 अगस्त, 2017 द्वारा प्रशासकीय विभागों को प्रतिनिहित किये गये अधिकारों के अधीन निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(एन0एच0 रिजवी)
विशेष सचिव।

संख्या-10/2018/34(1)/71-2-18-तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद ।
2. प्रधान महालेखाकार (सिविल आडिट) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
3. कोषाधिकारी, लखनऊ ।
4. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
5. वित्त अधिकारी, सी0बी0एम0आर0, लखनऊ।
6. वित्त ई-3/नियोजन अनुभाग-4/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2
7. स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0।
8. परियोजना प्रबन्ध/निदेशक, सी0 एण्ड डी0एस0, यूनिट-13, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ।
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(नीलेश कुमार सिंह)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।